

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक : मुसप्र/2018/५६९

दिनांक : १२/७/१८

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव— अध्यक्ष/आवासन आयुक्त महो. राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव—सचिव/वित्तीय सलाहकार/निदेशक विधि, रा०आ०म०, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय) प्रथम/द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता— प्रथम/द्वितीय/तृतीय, रा० आ० मा०, जयपुर।
5. अतिरिक्त निजी सचिव—मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, रा०आ०म० जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, रा०आ०म०, वृत—.....।
7. समस्त आवासीय अभियन्ता।
8. ✓ संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाईट पर डलवायें व सभी संबंधित उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता को मेल करें।
9. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु०), रा०आ०मण्डल, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।

↑
मुख्य सम्पदा प्रबन्धक

मैलार्न :-

1. अधिकृतका १६.१२.१९९७ के रूपेध प्रैंजारी ५८५
2. ५८५ को न १२०१८ दि. १०.६.१८
3. लक्ष्य इस्तोवज्जे पर तथ्यालूकी की अनुमति ली जाती

श्याम लाल गुर्जर, 7-6-19
आई.ए.एस.

Shyam Lal Gurjar IAS



सत्यमेव जयते



महानीरीक्षक, 6-18

पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
पंजीयन भवन, राजस्थान, अजमेर-305 001
Inspector General,
Registration & Stamps Department,
Panjiyan Bhawan, Rajasthan, Ajmer - 305 001

पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राज0, "पंजीयन-भवन, अजमेर
अ.शा. पत्रांक एफ.7(94)जन/18/१०९८ दिनांक 1-6-18

आदरणीय श्रीमान्,

M/616
16/18

निवेदन है कि राजरथान स्टाम्प अधिनियम 1998 की धारा 17 के अनुसार किसी दस्तावेज जिस पर स्टाम्प ड्यूटी देय पर स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान दस्तावेज निष्पादन के पूर्व, निष्पादन के समय या निष्पादन की दिनांक से अगले कार्यदिवस तक करना आवश्यक है।

धारा 37(3) के तहत राज्य सरकार द्वारा केन्द्र एवं राज्य सरकार के समस्त कार्यालयों, निगम एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं, स्थायी निकायों, पंजीकृत संस्थाओं एवं सहकारी संस्थाओं, समस्त निगमित और अनिगमित कम्पनीज, नोटेरी पब्लिक एवं शपथ आयुक्त के कार्यालयों को लोक कार्यालय घोषित किया हुआ है। इन लोक कार्यालयों के प्रभारी अधिकारीयों (Public Officers) का यह दायित्व है कि उनके परीय कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान या निरीक्षण के समय उनके समक्ष कोई दस्तावेज तो वह ऐसे अमुद्रांकित या अपर्याप्त रूप से मुद्रांकित दस्तावेज को पूर्ण मुद्रांक हेतु उप महानीरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक) को रेफरेन्स करें।

इसी प्रकार धारा 39 के अनुसार कोई दस्तावेज जिस पर स्टाम्प ड्यूटी देय है और ऐसा दस्तावेज अमुद्रांकित है या अपर्याप्त रूप से मुद्रांकित है, तो ऐसा दस्तावेज साक्ष्य में अग्राह्य होगा एवं साथ ही किसी भी कार्यवाही के लिये अयोग्य होगा अर्थात् ऐसे दस्तावेज के आधार पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है। उक्त अधिनियम की धारा 73 के तहत ऐसे दस्तावेज जिन पर स्टाम्प ड्यूटी देय हैं, लेकिन नहीं दी गई हैं, तो ऐसे दस्तावेज को निष्पादित करना या उनको हस्ताक्षरित करना एक दण्डनीय अपराध है।

अतः कृपया अपने अधीनस्थ लोक कार्यालयों को निर्देशित करें की राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 1998 के प्रावधानों की पालना में उनके कार्यालयों में निष्पादित दस्तावेजों या उनके समक्ष लाये जाने वाले या प्ररत्नत किये जाने वाले दस्तावेजों को इम्पार्ट ह कर संबंधित कलक्टर (मुद्रांक) को भिजवाये एवं ऐसे दस्तावेजों के आधार पर किसी व्यक्ति के पक्ष में कोई कार्यवाही नहीं करें।

प्रायः महालेखाकार कार्यालय के जांच दलों द्वारा लोक कार्यालयों के लेखा निरीक्षण के दौरान स्टाम्प ड्यूटी अदा नहीं करने या कम अदा करने के आधार पर जो ऑडिट आक्षेप बनाये जाते हैं उनके निरतारण की जिम्मेदारी इस विभाग पर डाली जाती है। अतः लोक कार्यालयों में निष्पादित होने वाले दस्तावेज जिन पर स्टाम्प ड्यूटी देय हैं पर मुद्रांक विधि के प्रावधान अनुसार स्टाम्प ड्यूटी की अदायगी सुनिश्चित करने के लिये आपके विभाग के सभी लोक कार्यालयों के प्रभारी अधिकारीयों को अनुसार स्टाम्प ड्यूटी की कम अदायगी के आधार पर महालेखाकार के जांच दलों द्वारा पावन्द करने की कृपा करायें ताकि भविष्य में स्टाम्प ड्यूटी की कम अदायगी के आधार पर उपरोक्त आक्षेप का गठन नहीं किया जा सके। उपरोक्त अधिसूचना दिनांक 16.12.1997 से नियुक्त प्रभारी अधिकारीयों द्वारा उपरोक्त प्रावधानों की पालना नहीं की जा रही है। अतः उक्त प्रावधानों की प्रभारी अधिकारीयों द्वारा पालना सुनिश्चित करने हेतु तथा उनके द्वारा की गई पालना की राज्य मुख्यालय स्तर पर सामयिक समीक्षा करने हेतु संबंधित अधिकारीयों को निर्देश जारी करने की कृपा करें।

संलग्न-

1. अधिसूचना 16.12.97 के संबंध में जारी परिपत्र,
2. परिपत्र क्रमांक 7/2018 दिनांक 01.06.18
3. प्रमुख दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी की अनुसूची की प्रति।

भवनिष्ठ,

(श्याम लाल गुर्जर)

श्री रोहित गुप्ता
आई.ए.एस..

आयुक्त,
राजस्थान आवसन मण्डल,
राजस्थान जयपुर।

मार्ग: प. २०२० वित्त/परभू. /९७

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग, कर अनुभाग
=====

133

जयपुर, दिनांक 16. 12. 97

-::: अधिकृतचना ::-

राजस्थान स्टाम्प विधि अनुकूलन १९५२ का राजस्थान अधिकृत छाया ७४ द्वारा राजस्थान के लिए यथा अनुद्वालित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, १८९९ १८९९ के केन्द्रीय अधिनियम त्रिया २४ को धारा ३३ को उपर्यारा ३४ के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार सत्रद द्वारा निम्नलिखित कार्यलियों को "पर्सनल ऑफिस" नियमित करती है :-

१. केन्द्र सरकार के समस्त कार्यलिय ।
२. राज्य सरकार के समस्त कार्यलिय ।
३. केन्द्र सरकार के समस्त निगम एवं स्वायत्तशासी संस्थाएँ ।
४. राज्य सरकार के समस्त निगम एवं स्वायत्तशासी संस्थाएँ ।
५. नगर पालिका/नगर परिषद्/ नगर निगम/ नगर सुधार न्यास/ जयपुर विकास प्राधिकरण एवं आवासन मण्डल के समस्त कार्यलिय ।
६. दोवानों एवं पौजहारों न्यायालय ।
७. समस्त पंजीयन संस्थाओं एवं सटकारों संस्थाओं के कार्यलिय ।
८. समस्त निगमित एवं गन्निगमित कम्पनियों के कार्यलिय ।
९. नोटरों अधिनियम १९५२ के अन्तर्गत नियुक्त नोटरों के कार्यलिय ।
१०. भव्य आमुकता के कार्यलिय ।

राज्य सरकार यह भी नियमित करती है कि उपरोक्त पर्सनल ऑफिस के कार्यलियद्यष्ट हो उक्त अधिनियम को धारा ३३/३४ के प्रयोजनार्थ अपने-अपने लापलियों कार्यलिय ग्रहणी होगी ।

राज्यपाल के आदेश से,

८०-

१ चिनोद कपूर

शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार

प्राप्तिलिपि निम्नांकित हो सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाहो हेतु भेजित है :-
दिनांक: सफ. ७४३५। दिनांक: ३४३४२-८९७। दिनांक: १२/१२/९७

- प्रतिलिपि निम्नांकित हो सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाहो हेतु भेजित है :-
१. शासन उप सचिव, वित्त और अनुभाग विभाग, राजस्थान- जयपुर ।
 २. महालेखाकार और लेखा परोधारू एत. आर. ए. -५, राजस्थान- जयपुर ।
 ३. समस्त कलकटर एवं जिला पंजीयक, राजस्थान ।
 ४. अतिरिक्त कलकटर और मुद्रांक, जयपुर ।
 ५. समस्त उप महानिरोक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलकटर और मुद्रांक, राजस्थान ।
 ६. वरिष्ठ लेखाकारों, सुख्यालय- अजमेर ।
 ७. सहाय गवानीरोक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान- अजमेर ।
 ८. समस्त उप पंजीयकाणा, राजस्थान ।
 ९. हाइकोर्ट लेखाकारों, सुख्यालय- अजमेर ।
 १०. सदरत अदालित लेखा जांच दल, सुख्यालय- अजमेर ।
 ११. निवो सचिव, महानिरोक्षक महोदय/निजो सहायक, अतिरिक्त महानिरोक्षक महोदय ।
 १२. समस्त शाखाएँ, सुख्यालय- अजमेर ।

उष्म विधि परागी,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान-अजमेर

राजस्थान—सरकार

कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग राज.

“पंजीयन—भवन” अजमेर

क्रमांक : एफ.7(७५)जन/2017-18/ ८४३५

दिनांक : ०१-०६-२०१८

— परिपत्र :—

विषय :- लोक कार्यालयों द्वारा निष्पादित किये जाने वाले दस्तावेजों पर देय मुद्रांक शल्क की देखता सुनिश्चित करने के संबंध में।

राजस्थान रटाम्प अधिनियम 1998 की धारा 37 की उपधारा (3) सपठित राजस्थान रटाम्प नियम, 2004 के नियम 64 उपनियम (1) में राज्य सरकार को ऐसे कार्यालयों को लोक कार्यालय घोषित करने का अधिकार है। जहां पर संपत्ति संबंधी एवं अन्य दस्तावेज निष्पादित होते हैं अथवा प्रस्तुत होते हैं एवं जिन पर राजस्थान रटाम्प अधिनियम 1998 की अनुसूची के अन्तर्गत रटाम्प ड्यूटी देय होती है। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना क्रमांक प.2(20)वित्त/कर-अनु/1997 दिनांक 16.12.1997 के द्वारा निम्नलिखित कार्यालयों को 'लोक कार्यालय' घोषित किया हुआ है:-

1. केन्द्र एवं राज्य सरकार के समस्त कार्यालय,
 2. केन्द्र एवं राज्य सरकार के समस्त निगम एवं स्वायत्तशासी संस्थाएं,
 3. नगर पालिका/नगर परिषद/नगर निगम/नगर सुधार न्यास/समस्त विकास प्राधिकरण/आवासन मण्डल के समस्त कार्यालय, एवं अन्य समस्त रथानीय निकाय,
 4. दीवानी एवं फौजदारी न्यायालय
 5. समस्त पंजीकृत संरथाओं एवं सहकारी संरथाओं के कार्यालय,
 6. समस्त निगमित एवं अनिगमित कम्पनीयों के कार्यालय,
 7. नोटेरी पब्लिक एवं शपथ आयुक्त के कार्यालय,

लोक कार्यालय के दायित्व

- लोक कार्यालय समक्ष अपर्याप्त रूप से मुद्रांकित (Unduly Stamped) दस्तावेज प्रस्तुत होने पर ऐसे दस्तावेज को Impound कर कलक्टर (मुद्रांक) को स्टाम्प ड्यूटी के निर्धारण एवं वसूली हेतु भिजवाने का दायित्व (धारा-37(4))
 - लोक कार्यालय अपर्याप्त रूप से मुद्रांकित दस्तावेज (Unduly Stamped) के आधार पर कोई कार्यावाही (Act upon) नहीं करेगा। (धारा-39)

लोक कार्यालय के प्रभारी अधिकारी के दायित्व

(राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 के अन्तर्गत)

- दरस्तावेज के पक्षकार के रूप में सभी लोक कार्यालयों के प्रभारी अधिकारी का दायित्व है कि वह कोई ऐसा दरस्तावेज निष्पादित नहीं करे जिस पर पर्याप्त स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान नहीं किया गया हो। (धारा-17)
 - पर्याप्त स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान किये बिना दरस्तोवज निष्पादित करना धारा-73 के अधीन एक अपराध है, जिसके लिए 5000/- रु तक दण्ड का प्रावधान है।

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा-85 के तहत लोक कार्यालयों के दायित्व

- लोक कार्यालयों के प्रभारी अधिकारी का दायित्व है कि वह पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के अधिकृत अधिकारी द्वारा मांग किये जाने पर हस्तालिखित, टकित रिकॉर्ड या इलेक्ट्रोनिक रूप में संधारित रजिस्टरों, पुस्तकों एवं अन्य सभी दस्तावेजों की मूल या प्रमाणित प्रतियाँ निःशक्तक उपलब्ध कराये और निरीक्षण की मांग पर रिकार्ड का निरीक्षण कराये।

धारा-85 का उल्लंघन के तहत एक दण्डनीय अपराध है।

- धारा-81 के तहत शास्तियाँ निम्नानुसार हैं—
 - प्रथम उल्लंघन —500/- रु. तक
 - द्वितीय उल्लंघन —1000/- रु. तक
 - तृतीय एवं पश्चातवर्ती उल्लंघन —2000/- रु. तक एवं 2 वर्ष तक का कारावास

उपरोक्त विधिक प्रावधानों के तहत लोक कार्यालयों के प्रभारी अधिकारीयों का यह दायित्व है कि उनके समक्ष ऐसा कोई दस्तावेज आये या निष्पादित हो जो मुद्रांकित ढोना चाहिए, किन्तु अमुद्रांकित है अथवा अपूर्ण मुद्रांकित है तो उसे पूर्ण मुद्रांकित करावें अथवा यदि पक्षकार पूर्ण


मुद्रांकन से मना करें, तो उस दस्तावेज को पूर्ण मुद्रांकन की कार्यवाही हेतु सह
(मुद्रांक) को रेफरेन्स करें।

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 1998 की धारा 37(4) के प्रावधान की पालना करना
कार्यालयों की प्रभारी अधिकारीयों के लिये बाध्यकारी है। उक्त बाध्यकारी प्रावधान की पालना
करने के कारण महालेखाकार के निरीक्षण प्रतिवेदनों में तथा सीएजी द्वारा अपनी विभिन्न रिपोर्ट्स में
गमीर आक्षेप लिये गये हैं।

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा-17 के प्रावधानानुसार दस्तावेज निष्पादन की
दिनांक या उसके ठीक पश्चात् के अगले कार्य दिवस को स्टाम्प शुल्क देय होता है। लोक
पंचायत इत्यादि में निष्पादित किये जाने वाले विभिन्न प्रकार के दस्तावेज बिना मुद्रांक/अपूर्ण मुद्रांक
पर निष्पादित किये जाते हैं, इस कारण राज्य सरकार को दस्तावेज निष्पादन की दिनांक को ही
होने वाला राजस्व समय पर प्राप्त नहीं होने से राजस्व हानि होती है। यह भी देखने में आया
होती है।

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 1998 की अनुसूची में वर्णित महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर देय स्टाम्प
शुल्क व पंजीयन फीस की सूची संलग्न परिशिष्ट अनुसार भिजवाई जा रही है। आपके कार्यालय
पर मुद्रांक शुल्क भुगतान किये जाने की तथ्यों की जांच करने का श्रम करें तथा जिन दस्तावेजों में
नियमानुसार देय मुद्रांक शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है, उन दस्तावेजों को Impound कर
शुल्क की वसूली की कार्यवाही की जा सके।

संलग्न—उपरोक्तानुसार।


(श्याम लाल गुर्जर) 16/18

महानिरीक्षक
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग
राजस्थान अजमेर

दिनांक : 01-06-2018

क्रमांक : एफ.7()जन/2017-18/ 8436 - 9066

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. प्रतिलिपि निमांकित शासन सचिवों/विभागाध्यक्षों को अपने अधीनस्थ कार्यालयों को
परिपत्रानुसार पालना के निर्देश देने हेतु अनुरोध के साथ प्रेषित है:-
 - (1) प्रमुख शासन सचिव, नगरीय आवासन विकास विभाग, जयपुर/ सचिव, ऊर्जा विभाग,
जयपुर।
 - (2) प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (DISCOM) जयपुर/
जोधपुर/अजमेर।
 - (3) प्रबन्ध निदेशक, अक्षय ऊर्जा निगम, जयपुर।
 - (4) प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड/ राजस्थान राज्य
विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, जयपुर।
 - (5) आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
 - (6) प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम (RIICO)
जयपुर।
 - (7) प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान वित्त निगम, जयपुर।
 - (8) प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य खनिज एवं खान लिमिटेड (RSMM Ltd.)वित्त
निगम, जयपुर।
 - (9) आयुक्त, जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण।
 - (10) पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जयपुर।
 - (11) पंजीयक, कम्पनीज भारत सरकार, जयपुर।
 - (12) आयुक्त, आबकारी विभाग, उदयपुर।
 - (13) मुख्य अधिकारी, सार्वजनिक निर्माण विभाग/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी
विभाग/सिंचाई विभाग, जयपुर।
 - (14) निदेशक, रवायत शासन विभाग, जयपुर।
 - (15) आयुक्त, नगर निगम, जयपुर/जोधपुर/बीकानेर/अजमेर/कोटा।

- (16) समस्त सचिव, नगर सुधार न्यास।
- (17) रजिस्ट्रार कम्पनीज, राजस्थान, जयपुर को भेजकर अनुरोध है कि परिपत्र की प्रतियों पालनार्थ समस्त निगमित व अनिगमित कम्पनियों को उपलब्ध कराने का श्रम करें एवं कम्पनीज के संबंध में जारी/प्राप्त दस्तावेज जिनका पूर्ण मुद्रांकन आवश्यक है उनका पूर्ण मुद्रांकन अवश्य करावें।
3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (कर) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
4. महानिदेशक, राज्य राजरव आसूचना निदेशालय, राजस्थान, भूतल 'डी' ब्लॉक वित्त भवन, जनपथ, जयपुर।
5. समरत कलक्टर एवं जिला पंजीयक, राजस्थान।
6. महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजरव क्षेत्र लेखापरीक्षा) राजस्थान, जनपथ, जयपुर-302005
7. पंजीयक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर को कर बोर्ड के माननीय सदरयों के अवलोकनार्थ।
8. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय, अजमेर।
9. अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, कमरा नम्बर 401, ब्लॉक-डी, वित्त भवन, जयपुर।
10. कन्वीनर, स्टेट लेवल बैंकर्स समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा भवन, एयरपोर्ट प्लाजा, होटल रेडीशन ब्लू के पीछे, दुर्गापुरा, जयपुर को प्रेषित कर अनुरोध है कि आप अपने स्तर से अपने सभी सदरय बैंकों को उपरोक्त परिपत्र की प्रति प्रसारित करते हुए परिपत्र में उल्लेखित विधिक प्रावधानों की शत-प्रतिशत पालना सुनिश्चित करवाने का श्रम करावें।
11. समरत उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर मुद्रांक, राजस्थान को भेजकर लेख है कि अपने-अपने क्षेत्र में रिश्ते लोक कार्यालयों को इस परिपत्र की प्रति पालना हेतु शीघ्र उपलब्ध करवाकर उपरोक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावे। समरत लोक कार्यालय यथा—
- 1) केन्द्र एवं राज्य सरकार के समरत कार्यालय,
 - 2) केन्द्र एवं राज्य सरकार के समरत निगम एवं स्वायत्तशासी संस्थाएँ,
 - 3) नगर पालिका/नगर परिषद/नगर निगम/नगर सुधार न्यास/समरत विकास प्राधिकरण/आवासन मण्डल के समरत कार्यालय, एवं अन्य समरत रथानीय निकाय,
 - 4) दीवानी एवं फौजदारी न्यायालय
 - 5) समरत पंजीकृत संस्थाओं एवं सहकारी संस्थाओं के कार्यालय,
 - 6) समरत निगमित एवं अनिगमित कम्पनीयों के कार्यालय,
 - 7) नोटेरी पब्लिक एवं शपथ आयुक्त के कार्यालय,
12. संयुक्त निदेशक (कम्प्यूटर), मुख्यालय, अजमेर को परिपत्र की प्रति, विभाग की वेबसाईट igrs.rajasthan.gov.in पर अपलोड कराने हेतु।
13. संयुक्त विधि परामर्शी/उप विधि परामर्शी/सहायक विधि परामर्शी मुख्यालय, अजमेर।
14. वरिष्ठ विधि अधिकारी, कार्यालय उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), वृत्-जयपुर/जोधपुर।
15. समरत उप पंजीयकगण, (पूर्णकालीन एवं पदेन), राजस्थान।
16. उप राजकीय अभियासक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।
17. अध्यक्ष, क्रेडाई राजस्थान, 424, चतुर्थ तल, लक्ष्मी कॉम्प्लैक्स, एम.आई. रोड, जयपुर-302001
18. अध्यक्ष, टाऊनशिप डिवलपर एसोसियेशन ऑफ राजस्थान, प्राईम पैवेलियन, ई-666, नकुल पथ, लालकोठी स्कीम, जयपुर-15
19. कनफेडरेशन ऑफ इण्डियन इण्डस्ट्री, 3, शिवाजी नगर, सिविल लाईन, जयपुर-302006
20. अध्यक्ष, भिवाडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री, प्लाट नं. 1, कॉमर्शियल कॉम्प्लैक्स, इण्डस्ट्रीयल एरिया, चौपानकी, भिवाडी-301019 जिला-अलवर
21. राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री, राजस्थान चैम्बर भवन, एम.आई.रोड, जयपुर-302003
22. सचिव, ऑल इण्डिया फैडरेशन ऑफ टैक्स प्रेविट्शनर (ब्र), bbissa71@gmail.com, om_banthia@rediffmail.com
23. अध्यक्ष, स्टील मर्चन्ट्स एसोसियेशन, प्रथम तल, सोमानी बिल्डिंग, लोहामण्डी, संसार चन्द्रा लिंक रोड, जयपुर-302001
24. फैडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एण्ड इण्डस्ट्री (FORTI) जयपुर।
25. राजस्थान एक्सचेंज मैमर्स एसोसियेशन, जयपुर।
26. समरत प्रभारी, आन्तरिक लेखा जॉच दल, मुख्यालय, अजमेर।
27. निजी-सचिव, महानिरीक्षक/निजी-सहायक, अतिरिक्त महानिरीक्षक, अजमेर।
28. समरत शाखाएँ, मुख्यालय, अजमेर।

अतिरिक्त महानिरीक्षक (प्रशासन),
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान—अजमेर

**विभिन्न दस्तावेजों पर देय स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क की दरें तथा
सूचनाएँ**

1. प्रमुख दस्तावेजों के नाम एवं उन पर प्रभार्य स्टाम्प ड्यूटी/अधिभार/पंजीयन शुल्क की दरें।

क्र. सं.	दस्तावेज का नाम	प्रभारी स्टाम्प ड्यूटी की दर	
1	विक्रय पत्र	i. अचल सम्पत्ति के बाजार मूल्य का 5%	ii. सामान्य महिला एवं 40% या उससे अधिक निश्चिकता से ग्रस्त व्यक्ति (अधिसूचना दिनांक 14.07.14) 4%
		iii. SC/ST/BPL वर्ग की महिला (अधिसूचना दिनांक 14.07.14) 3%	
2	विक्रय इकारानामा (कब्जा सहित)	i. अचल सम्पत्ति के बाजार मूल्य का 5%	
3	विक्रय प्रमाण पत्र	प्रतिफल राशि या बाजार मूल्य जो भी अधिक हो का 5%	
4	मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के अंतर्गत आवेदित आवास का विक्रय दस्तावेज	i. अधिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS) के व्यक्ति के पक्ष में प्रतिफल राशि का 1% (अधिसूचना दिनांक 12.02.2018)	ii. निम्न आय वर्ग (LIG) के व्यक्ति के पक्ष में प्रतिफल राशि का 2% (अधिसूचना दिनांक 12.02.2018)
5	विनिमय पत्र	5%	
6	दान पत्र	5%	
7	दान पत्र – पिता, माता, पुत्र, पुत्री, पुत्रवधु, पति, पौत्र, पौत्री, नाती, नातिन के पक्ष में	2.5%	
8	दान पत्र – पत्नि एवं पुत्री के पक्ष में	1% अधिकतम रूपये 1 लाख	
9	दान पत्र – विधवा के पक्ष में	पूर्ण रियायत	

नोट : क्रम संख्या 1 से 9 तक के दस्तावेजों पर पंजीयन शुल्क 1% अधिकतम रूपये 3 लाख देय है।

क्र. सं.	दस्तावेज का नाम	प्रभारी स्टाम्प ड्यूटी की दर	प्रभारी पंजीयन शुल्क की दर
10	गोदनामा	रुपये 1000/-	रुपये 200/-
11	शपथ-पत्र	रुपये 50/-	रुपये 300/-
12	विक्रय इकारानामा (कब्जा रहित)	कुल प्रतिफल राशि का 0.5% (अधिसूचना दिनांक 08.03.17)	0.25% अधिकतम रुपये 10000 (अधिसूचना दिनांक 08.03.17)
13	निरस्तीकरण का दस्तावेज	रुपये 100/-	रुपये 200/-
14	काउंटर पार्ट	रुपये 100/-	रुपये 100/-
15	सप्लीमेन्ट्री / करेवशन डीड	रुपये 500/-	रुपये 200/-
16	बंधक पत्र (कब्जा सहित)	सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर 5%	1%
17	बंधक पत्र (कब्जा रहित)	बंधक राशि पर 0.15% अधिकतम 5 लाख (अधिसूचना दिनांक 09.03.15)	1% अधिकतम रुपये 25000/- (अधिसूचना दिनांक 08.03.16)
18	पैतृक सम्पत्ति का विभाजन पत्र	सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर 1.5% (अधिसूचना दिनांक 08.03.16)	0.25% अधिकतम रुपये 10000/- (अधिसूचना दिनांक 12.02.2018)
19	पैतृक सम्पत्ति से भिन्न सम्पत्ति का विभाजन पत्र	सम्पत्ति के बाजार मूल्य का 3% (अधिसूचना दिनांक 08.03.2017)	0.25% अधिकतम रुपये 10000/- (अधिसूचना दिनांक 08.03.2017)
20	सामान्य पॉवर ऑफ अटॉर्नी	रुपये 100/-	रुपये 500/-
21	पॉवर ऑफ अटॉर्नी प्रतिफल लेकर अचल सम्पत्ति के विक्रय करने हेतु	प्रतिफल राशि का 5%	1% अधिकतम 3 लाख
22	सम्पत्ति के विक्रय अधिकार देने के लिये पिता, माता, भाई, बहिन, पति, पत्नि, पुत्र, पुत्री, पौत्र, पौत्री के पक्ष में निष्पादित पॉवर ऑफ अटॉर्नी	रुपये 2000/-	रुपये 500/-
23	अन्य व्यक्ति के पक्ष में निष्पादित पॉवर ऑफ अटॉर्नी (विक्रय अधिकार सहित)	अचल सम्पत्ति का 0.5% (अधिसूचना दिनांक 08.03.2017)	0.25% अधिकतम रुपये 10000/- (अधिसूचना दिनांक 08.03.2016)
24	पैतृक सम्पत्ति में हकत्याग पत्र (भाई- बहिन, पिता, माता-पुत्र, पुत्री, दादा, दादी-पौत्र, पौत्री, पति-पत्नि, बुआ-मतीजा, नामा-भाजा)	i. मूल्य रुपये 10 लाख दिनांक 12.02.18) तक रुपये 500(अधिसूचना 10 लाख से 5000 (अधिसूचना 12.02.18) अधिक	1% अधिकतम रुपये 500/-
25	हकत्याग पत्र (पैतृक सम्पत्ति से भिन्न सम्पत्ति)	5%	1%

26	वसीयतनामा	शून्य	रुपये 200/-
27	काउंटर पार्ट	रुपये 100/-	रुपये 100/-
28	ऋण इकरारनामा	ऋण राशि का 0.15% अधिकतम रुपये 5 लाख (अधिसूचना दिनांक 08.03.2017)	ऋण राशि का 1% अधिकतम रुपये 25000(अधिसूचना दिनांक 08.03.2016)
29	बैंक गारंटी	बैंक गारंटी की राशि का 0.25% अधिकतम रुपये 25000	बैंक गारंटी की राशि का 1% अधिकतम रुपये 3 लाख
30	बैंक गारंटी का नवीनीकरण	बैंक गारंटी की राशि 0.25% अधिकतम रुपये 1000	
31	वकर्स कॉन्ट्रैक्ट	0.25% अधिकतम रुपये 15000/-	रुपये 300/-

लीज (किरायानामा)	सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर	
i. एक वर्ष से कम अवधि	0.02%	
ii. एक वर्ष या उससे अधिक, पांच वर्ष तक	0.1%	
iii. पांच वर्ष या उससे अधिक, दस वर्ष तक	0.5%	स्टाम्प ड्यूटी की राशि की 20%
iv. दस वर्ष या उससे अधिक, पंद्रह वर्ष तक	1%	
v. पंद्रह वर्ष या उससे अधिक, बीस वर्ष तक	2%	
vi. बीस वर्ष या उससे अधिक, तीस वर्ष तक	4%	
vii. तीस वर्ष से अधिक या शाश्वत या किसी निश्चित अवधि के लिये	5%	1% अधिकतम रुपये 3 लाख
लीज एण्ड लाईसेंस	लीज पर देय स्टाम्प ड्यूटी के समान	स्टाम्प ड्यूटी की राशि की 20%

नोट— उपरोक्त समस्त दस्तावेजों पर निम्नानुसार अधिभार का प्रावधान है—

क्र.सं.	विषय	अधिभार की दर
1.	आधारभूत अवसंरचनाओं सुविधाओं के विकास और नगरपालिकाओं और पंचायती राज संस्थाओं के वित्त पोषण के प्रयोजनों के लिये	संदेय स्टाम्प ड्यूटी का 10 प्रतिशत
2.	गाय और उसकी नरल के संरक्षण और संवर्द्धन के प्रयोजनों के लिये	संदेय स्टाम्प ड्यूटी का 10 प्रतिशत